


कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

—:: कार्यालय आदेश ::—

निम्नांकित व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) की उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान से वेतन आहरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	नाम व्याख्याता मय कार्यरत स्थान(राउमावि/राबाउमावि)	अवधि	राउमावि/राबाउमावि जहां से वेतन आहरित किया जाना है।
1	श्रीमती अर्चना शर्मा व्या. संस्कृत राउमावि सेवर, भरतपुर	अगस्त 2018 से नवम्बर 2018 तक	राउमावि सेवर, भरतपुर से व्याख्याता कृषि विज्ञान के पद विरुद्ध


उपरोक्त अवधि में संबंधित कार्मिक द्वारा यदि किसी प्रकार के अवकाश का उपयोग किया है तो उक्त अवकाश प्रकरण निस्तारण नियमानुसार कर वेतन आहरित किया जावे।


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-1/वेतनव्यवस्था/2018
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत :-

दिनांक : 24-11-2019

1. संयुक्त निदेशक (माध्यमिक), भरतपुर
2. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-मुख्यालय), भरतपुर
3. प्रधानाचार्य राउमावि सेवर, भरतपुर
4. श्रीमती अर्चना शर्मा, व्याख्याता संस्कृत, राउमावि सेवर भरतपुर
5. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु
6. रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर